Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government consideration to open new ration shops in various backward areas of Andhra Pradesh to strengthen the Public Distribution system;

(b) what steps are being taken to enhance the PDS in rural areas of the State;

(c) what specific measures are proposed to ensure that card-holders belonging to lower income group are given their due rations at all fair price shops; and

(d) what are the details of directions passed on to State Governments in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (d) The operational responsibility for implementation of the Public Distribution System (PDS) is that of the State Governments. The opening of Fair Price Shops in any part of the State is a matter within the administrative jurisdiction of the Government of Andhra Pradesh.

Strengthening and streamlining of PDS is a continuous process and discussions with the State Governments are held at the meetings of the Advisory Council on PDS and other fora. Under the Revamped Public Distribution System (RPDS), the Government of Andhra Pradesh have opened 362 additional Fair Price Shops in the Areas covered by DPAP and ITDP. State Governments have also been requested to deliver the PDS items at the doorsteps of the Fair Price Shops to ensure regular supply to consumers. Government of Andhra Pradesh provides foodgrains at specially subsidised rates to people whose annual income does not exceed Rs. 6000 per annum.

खाद्य तेल का उत्पादन

2430. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेल निकालने वाले उद्योगों का आधुनिकीकरण न होने के कारण भारत में अन्य देशों की तुलना में कम तेल निकाला जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत में और अन्य विकासशील देशों में निकाले जाने वाले तेल की मात्रा में अंतर का अनुपात कितना है;

(ग) क्या देश में उगाए जा रहे तिलहनों में तेल की पर्याप्त मात्रा होती है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उद्योगपतियों को इस संबंध में अनुसंधान करने और नई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में कोई योजना बनायी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश से तिलहनों का निर्यात कब तक समाप्त किए जाने की सम्भावना है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी नहीं। हालांकि खली में बचे तेल के अंश की सीमा कुछ मामलों में 14% तक ऊँची हो सकती है, तथापि औसतन खली में तेल का अंश 7% से 8% के आस-पास होता है, जो कि अन्य देशों में उत्पादित तेल से अधिक भिन्न नहीं है।

(ग) तिलहन में तेल का अंश मूल रूप से एक जैव विशेषता होती है और विभिन्न देशों में उगाए जाने वाले तिलहनों के तेल के अंशों में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं होता है।

(घ) शीर्ष निकाय के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान केन्द्रों में किए जा रहे अनुसंधान कार्य में सहायता देने के अलावा सरकार ने अनेक उपाय भी किए हैं, जैसे परिसरों में अनुसंधान व विकास एकक स्थापित करने के लिए उदार प्रोत्साहन देना, वित्तीय प्रोत्साहन देना, जिसमें कुछ उपकरणों के लिए जो देश में उपलब्ध नहीं है, और जिन्हें प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाता है, के आयात हेतु प्रोत्साहन देना शामिल है आदि।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता

2431. **श्री ईश दत्त यादव : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहकारी समितियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रही है;